

चाहता हूँ कि अब तक कितने वैज्ञानिक आ चुके हैं ।

श्री मु० का० चागला : दो तीन दफा साइटिस्ट्स का यह सवाल आ चुका है और यह सारा किस्सा बताया गया है कि कितने वापस आए हैं और कितनों को यहाँ जाब्ज मिली है । अगर मेरे दोस्त को यह इन्फार्मेशन चाहिए, तो मैं दे दूंगा ।

अष्टाचार के आरोपों की जांच सम्बन्धी प्रक्रिया

+

- \* 122. { श्री यशपाल सिंह :  
 श्री भागवत झा आजाद :  
 श्री हरिश्चन्द्र भाषुर :  
 श्री म० ला० द्विवेदी :  
 श्री स० चं० सामन्त :  
 श्री स० सो० बनर्जी :  
 श्री विभूति मिश्र :  
 श्री क० ना० तिवारी :  
 श्री छ० ना० विद्यालंकार :  
 श्री विद्याचरण शुक्ल ।

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केन्द्र तथा राज्यों में मंत्रियों जैसे राजनीतिक सत्ताधारी व्यक्तियों के विरुद्ध अष्टाचार के आरोपों की जांच करने संबंधी प्रक्रिया तथा नीति में आगे परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री यशपाल सिंह : भारत की जनता के दिल में यह सन्देह है और भारत की जनता

बारबार कह चुकी है कि उसी पार्टी के मंत्री लोग अष्टाचार करें और उसी पार्टी के बड़े मंत्री उस की तहकीकात करें, यह न्यायसंगत नहीं है । तो क्या सरकार ने यह कार्य सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के मातहत करने का फैसला किया है ?

श्री हाथी : नहीं, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजिज को इस बारे में फैसला करने के विषय में तय नहीं किया है ।

श्री यशपाल सिंह : अभी तक कितने मामले अंडर एन्क्वायरी हैं और कितने में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की मदद ली गई है ?

Shri Hathi: That depends upon the nature of the enquiry. If it is a Commission, if Government decides to appoint a Commission with a High Court Judge, it is a different matter.

श्री हरि विष्णु काम्त : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न न्यारा था । प्रश्न यह था कि कितने मामले सरकार के अधीन हैं और कितने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधीन हैं, यह विवरण दिया जाये ।

The Minister of Home Affairs (Shri Nanda): I believe the question refers to allegations against Ministers. All the cases that we have, so far as we are concerned, we have dealt with. The Commission of Inquiry in the Jammu and Kashmir case was not appointed by us here. The rest of the cases have been dealt with in the manner which we have indicated before the House earlier.

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य श्री यशपाल सिंह का प्रश्न केन्द्र के मंत्रियों के विरुद्ध जांच बगैरह के बारे में है । माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि कितने केन्द्रीय मंत्रियों के विरुद्ध शिकायतें हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इस का उत्तर दे दिया गया है ।

श्री मधु लिमये : इस सदन की कार्य प्रणाली के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : कार्य प्रणाली का सवाल नहीं उठता है।

श्री मधु लिमये : व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : ठहर जाइये।

श्री म० ला० द्विवेदी : जो कदम झूटाचार की रोकथाम के सरकार ने अब तक उठाये हैं क्या वे सन्तोषजनक हैं यदि नहीं तो उनको रिवाइज करने की जरूरत क्यों नहीं समझी गई ?

श्री नन्दा : यह एक लम्बा चौड़ा सवाल है। जो कुछ कार्रवाई हुई है उससे कुछ फायदा हुआ है। मैं यह कहने को तैयार नहीं हूँ कि उससे सब कुछ अच्छा हो गया है और मामला साफ हो गया है।

#### WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

##### Illegal Cracker Factories

- \*123. {
- Shri Rameshwar Tantia:
  - Shri Hukam Chand Kachhavaiya:
  - Shri Yashpal Singh:
  - Shri S. M. Banerjee:
  - Shri D. C. Sharma:
  - Shri P. R. Chakraverti:
  - Shrimati Savitri Nigam:
  - Shri Onkar Lal Berwa:
  - Shri P. H. Bheel:
  - Shri Daljit Singh:
  - Shri Mohan Swarup:
  - Shri Bade:
  - Shri Basumatari:

Will the Minister of Home Affairs be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the course of inter-State raids the special staff of the Delhi CID unearthed two illegal cracker factories and seized several thousand pounds of explosive material;

(b) if so, the particulars thereof;

(c) whether any foreigners are involved; and

(d) the action taken in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hathi): (a) and (b). The C.I.D. Special Staff of the Delhi Police carried out a raid at Meerut in Uttar Pradesh on the 30th December, 1964, and seized from 2 persons 10,000 throw down type of crackers banned by Government. Another raid was carried out by the C.I.D. Special Staff of the Delhi Police at Jind in Punjab on the 13th January, 1965, and 7,000 such crackers were seized from the possession of two other persons. No illegal cracker factory was, however, unearthed.

(c) No, Sir.

(d) Four cases under section 6 of the Indian Explosives Act, 1884, two at Meerut and two at Jind, were registered and the accused persons were arrested. Investigation of these cases has been taken up by the Uttar Pradesh Police and the Punjab Police respectively.

##### पाकिस्तानी अंधेरे प्रवेशकर्ताओं का निष्कासन

- \*124. {
- श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
  - श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :
  - श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
  - श्री विभूति मिश्र :
  - श्री क० ना० तिवारी :
  - श्री राम हरल यादव :
  - श्री विशालनाथ पांडेय :
  - श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
  - श्री हेम राज :
  - श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
  - श्री रबीन्द्र वर्मा :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :